मूल्य : 100 रूपये स0क्र0.........

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

नवीन मान्यता

हाईस्कूल
हायर सेकेण्डरी परीक्षा

कक्षा 9 वीं सत्र..........................कक्षा 10 वीं सत्र..........................
कक्षा 11वीं सत्र..........................कक्षा 12 वीं सत्र..........................

अशासकीय संस्थाओं के लिये

आवेदन फार्म

प्रत्येक परीक्षा हेतु पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है

Online आवेदन फार्म **www.cgbse.nic.in** के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है

आवेदन पत्र क्र0

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर

अशासकीय संस्थाओं के लिये

नवीन मान्यता आवेदन पत्र

हाईस्कूल परीक्षा –सत्र–20– से 20–
हायर सेकेण्डरी परीक्षा –सत्र–20– से 20–

(मान्यता विनियम 1994 के विनियम 7 एवं 14 के अधीन)

सचिव, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के नाम संलग्न
बैंक ड्राफ्ट क्रमांक / चालान क्रमांक————————— दिनांक—————राशि—————
बैंक का नाम——————————————————————————————

हाईस्कूल मान्यता शुल्क रु 40000 / – हा0से0 मान्यता शुल्क रु 45000 / – अंतिम तिथि 15 अप्रैल तक

सामान्य विवरण

1. समिति का विवरण

1. समिति का नाम तथा पूरा पता ....

..............................कार्यक्षेत्र..............................मुख्यालय का नाम ....

तहसील..............................जिला ....दूरभाष क्रमांक ....मो.न..................

समिति का पंजीयन क्रमांक ....दिनांक..............................स्थान....................

पंजीयन करने वाली संस्था का नाम..जिला.................................

स्थापना का उद्देश्य 1..2..3.........................

(समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र, समिति का उद्देश्य की जानकारी संलग्न प्रस्तुत करें)

शाला प्रबंधक का नाम व पता :–..

....दूरभाष क्रमांक ....मो. न. ....

शाला प्रबंध समिति के शासकीय सदस्यों के नाम / पता –

अ) नाम ....कार्यालय ....

दूरभाष / मोबाईल क्र0 ....विकासखण्ड / नगर, जिला ....

ब) नाम ....कार्यालय ....

दूरभाष / मोबाईल क्र0 ....विकासखण्ड / नगर, जिला ....

शासकीय सदस्यों को मनोनीत करने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी का आदेश क्रमांक ....

.... दिनांक .... छाया प्रति संलग्न करें ।

2. संस्था का विवरण

2.1. (अ) विद्यालय का नाम..

दूरभाष क्र...मो.न..

(ब) पता.......................................ग्राम / पोस्ट..................................विकासखण्ड / त.ह...........................

जिला ....पिन कोड.. (छ.ग.)

शिक्षा विभाग की अनुमति / आदेश कमांक .... जारी दिनांक ....

द्वारा कक्षा...........से ....तक, वर्ष......................... से .... तक की अनुमति प्राप्त है।

3. परीक्षा जिसके लिए मान्यता चाही गई है (हाईस्कूल / हायर सेकेण्डरी)..

4. अध्यापन का माध्यम – हिन्दी / अंग्रेजी...................................

5. **(अ)अक्षय निधि –(प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी के सयुक्त नाम से रू 50,000 पचास हजार ग्रामीण क्षेत्र हेतु एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू. 1,00,000/– एक लाख रूपये जमा करना अनिवार्य है. एवं बचत खाते में ग्रामीण क्षेत्र की संस्था हेतु रू 25,000/– एवं शहरी क्षेत्र हेतु रू 50,000/– जमा अनिवार्य है ।)**

(अ) रू0 ....सावधी जमा क0..बैंक का नाम..............................

जारी करने का दिनांक ....अवधी ....वर्ष अंतिम तिथि ....

(ब) रू0 ....सावधी जमा क0..बैंक का नाम..............................

जारी करने का दिनांक ....अवधी ....वर्ष अंतिम तिथि ....

(स) संस्था / समिति के बचत खाते का विवरण खाता क्र...

बचत खाते में शेष राशि ....(स्टेटमेंन्ट / छायाप्रति संलग्न करें).

6. संस्था से निकटतम डाकघर .... दूरी ....कि. मी.

7. **संस्था किस क्षेत्र में स्थित है** – अ) ग्राम पंचायत / नगर पंचायत / नगर पालिका / नगर निगम
ब) आदिवासी / गैर आदिवासी क्षेत्र

(सही का निशान लगावें) स) गाँव / कस्बा / अराजभोगी नगर / राजभोगी नगर

8. **निकटतम दो हाईस्कूलों के नाम –**

(अ) शास. उ. मा. वि. .... दूरी .... कि.मी

(ब) अशासकीय उ. मा. वि. .... दूरी .... किमी.

9. निकटतम दो हायर सेकेण्डरी के नाम –

(अ) शास. उ. मा. वि. .... दूरी .... कि.मी

(ब) अशासकीय उ. मा. वि. .... दूरी .... किमी.

10. निकटतम पुलिस थाना / चौकी का नाम ....शाला से दूरी ....कि.मी

11. संस्था का प्रकार **बालक / कन्या / को.एड.(सहशिक्षा)**

12. (अ) विद्यार्थियों की संख्या :-

विद्यालय में यदि प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक की कक्षाऐं संचालित है तो छात्र संख्या

सत्र---------पहली-------दूसरी------तीसरी-------चौथी------पांचवीं----

छठवीं------सातवी----

कक्षा 8 वी.................................. कक्षा 9 वी .... कक्षा 10 वी ....

कक्षा 11 वी संकायवार कला.............विज्ञान ....वाणिज्य..............कृषि.....................

कक्षा 12 वी संकायवार कला.............विज्ञान ....वाणिज्य.............. कृषि ....

संकायवार छात्र संख्या – कला ....विज्ञान..............वाणिज्य............... कृषि ....

(अ) आवेदन की तिथि में उपस्थित विद्यार्थी संख्या :-

कक्षा 8 वी.............. ....कक्षा 9 वी .... कक्षा 10 वी ....

कक्षा 11 वी संकायवार कला..................विज्ञान ....वाणिज्य.............. कृषि ....

कक्षा 12 वी संकायवार कला....................विज्ञान ....वाणिज्य.................कृषि .....

संकायवार छात्र संख्या – कला ....विज्ञान................वाणिज्य................कृषि......

13. अध्ययनरत छात्रों के नामांकन शुल्क जमा करने का विवरण –

(अ) कक्षा 9 वीं प्रवेशरत कुल छात्र संख्या –..

(ब) मण्डल में जमा की गई कुल शुल्क .... रू0 दिनांक ....

14 कक्षाएँ प्रारंभ होने का वर्ष –

1 प्राथमिक--------------- 2 मिडिल---------------

3 कक्षा नवमी -------------- 4 कक्षा दसवीं ------------

5 कक्षा ग्यारहवी ------------ 6 कक्षा बारहवी ------------

15. पढ़ाये जाने वाले विषय :-

(अ)हाईस्कूल प्रथम भाषा -.................................द्वितीय भाषा ....तृतीय भाषा ....

अनिवार्य विषय – 04.गणित 05.विज्ञान 06.सामाजिक विज्ञान 07.पर्यावरण अध्ययन

(ब)हायर सेकण्डरी – प्रथम भाषा –...............................द्वितीय भाषा ....

कला संकाय –1) ....2) .... 3)..........................4).......... ....

विज्ञान संकाय –1) भौतिक शास्त्र 2) रसायन शास्त्र 3)..4)......................

वाणिज्य संकाय –1) व्यवहारीक अर्थशास्त्र 2) बही खाता 3) वाणिज्य के मूल तत्व 4)....................

अन्य संकाय – संकाय का नाम – ....

1) ....2) .... 3)..........................

4).............................. 5) .... 6)..........................

3. स्टाफ का विवरण

(अ) प्राचार्य का नाम ....दूरभाष....................................शैक्षणिक योग्यता

व्यावसायिक योग्यता ....

(ब) संस्था में नियुक्ति दिनांक .... अनुभव (वर्षों में) ....

(स) व्याख्याता/शिक्षाकर्मी की संख्या .... अन्य स्टॉफ की संख्या ....

एम ए-....................एम काम................एम एस सी.................प्रशिक्षित बी एड.................

अप्रशिक्षित....................अन्य स्टाफ.........................कुल संख्या ....

स.क्र.	शिक्षक का नाम	पद नाम	नियुक्ति दिनांक	पढाये जाने वाले विषय	शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षित बी एड डी एड	अनुभव	वेतन एवं हस्ताक्षर

(उपरोक्त प्रारुप में सूची संलग्न की जाना है, साथ ही प्रत्येक शिक्षक के शैक्षणिक योग्यता, प्रमाण पत्र संलग्न करे. शिक्षक विषयवार होना आवश्यक है) ।

4. भौतिक संसाधन का विवरण

16. भूमि एवं भवन से सम्बधित विवरण -

(अ) भूमि का क्षेत्रफल .... वर्ग फीट (भूमि का खसरा नं. /प्लाट नं.. क्षेत्रफल ....)

(ब) भूमि/भवन का स्वामित्व - स्वयं का/किराये का ....

(A) यदि किराये का है, तो मकान मालिक का नाम ....

पता..

कियरायानामा...................... से ....तक की अवधि का है।

(B) यदि स्वयं का है, तो समिति के नाम पर है या अन्य के नाम पर स्पष्ट लिखें

....

पता ....

(स) भवन का क्षेत्रफल ....वर्ग फीट कुल कमरो की संख्या ....

भवन के मंजिलो की संख्या ....

(द) अध्यापन कक्षों एवं अन्य कक्षों का विवरण :-

(अ) हाईस्कूल - कक्षा 9 वी कक्ष संख्या .... कक्षा 10 वी कक्ष संख्या .

आकार.........X.........वर्गफीट .... आकार.........X..........वर्गफीट ....

(ब)हायर सेकेण्डरी – कक्षा 11 वी कक्ष संख्या ....कक्षा 12 वी कक्ष संख्या ..

आकार.........X..........वर्गफीट ....   आकार.........X..........वर्गफीट .....

(स)कार्यालय एवं अन्य उपयोग हेतु कुल कमरे :– ....

प्राचार्य कक्ष – 01   आकार.........X..........वर्गफीट ..

कार्यालय कक्ष – 01   आकार.........X..........वर्गफीट ....

पुस्तकालय कक्ष – 01   आकार.........X..........वर्गफीट ..

अध्यापक कक्ष – 01   आकार.........X..........वर्गफीट ....

हाईस्कूल प्रयोगशाला कक्ष --01   आकार.........X..........वर्गफीट ..

हायर सेकेण्डरी प्रयोगशाला कक्ष –

भौतिक शास्त्र–   आकार.........X..........वर्गफीट ..

रसायन शास्त्र–   आकार.........X..........वर्गफीट ..

जीव विज्ञान –   आकार.........X..........वर्गफीट .

बरामदा :–   आकार.........X..........वर्गफीट ....

कुल कमरो की संख्या –.   ....

यदि बारान्डा है तो आकार   ....

यदि आंगन है तो आकार .   ...

5. अन्य संसाधन का विवरण

17. प्रसाधन –

स्टाफ के लिए ....छात्रों के लिए ....छात्राओं के लिए ....

टीप – प्रत्येक 100 छात्र/छात्राओं पर एक–एक अतिरिक्त टॉयलेट अनिवार्य है।

18. (अ) फर्नीचर –

छात्रो हेतु डेस्क संख्या ....बेंच संख्या ....

कार्यालय उपयोग हेतु टेबल संख्या ....कुर्सी संख्या ....अलमारियो की संख्या .

(ब) विद्युत व्यवस्था :–

(स) पेयजल व्यवस्था :–

स्वच्छ पेयजल व्यवस्था कुँआ/नलकुप/नल/वाटर कूलर के माध्यम से है/नही

(द) स्वास्थ्य परीक्षण :–

क्या प्रत्येक विद्यार्थी का सत्र में न्यूनतम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है/नही

स्वास्थ्य परीक्षण का रजिस्टर्ड चिकित्सक का प्रमाण प्रस्तुत करें।

(इ) पुस्तके :–

पाठ्योत्तर व रैफरेंस बुक का मापदण्ड कम से कम प्रति छात्र तीन पुस्तको के मान से।

कुल छात्र ....उपलब्ध पुस्तको की संख्या ....

19. खेल का मैदान :–

खेल का मैदान स्वयं का है हाँ/नही

यदि नहीं, तो मैदान किसका है, विवरण दें ....

खेल कूद में उपयोग में आने वाले मैदान का क्षेत्रफल ....

गत वर्ष के खेल कार्यक्रम :–...

संस्था द्वारा किन खेलों की व्यवस्था –...

6. वित्तीय संसाधन का विवरण

21. आय व्यय का विवरण :–

वर्ष	फीस	अन्य स्त्रोत	कुल आय	कुल व्यय
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....
....	....	....	....	....

स.क्र.	वित्तीय स्थिति	विवरण	
01	विद्यालय का बैंक खाता किस बैंक में है।		
02	बैंक खाता क्रमांक		
03	बैंक का संचालनकर्ता का नाम		
04	गत तीन वर्ष का पूंजीगत व्यय		
05	चालू सत्र में निर्धारित शुल्क		
06	कक्षा 09 वी ....कक्षा 10 वी ...... कक्षा 11 वीं ....कक्षा 12 वी		
07	आय के अन्य स्त्रोत		

घोषणा पत्र

मै——————————————पिता श्री——————————————

संस्था——————————————————————————————————

के प्राचार्य पद पर पदस्थ हूँ और मैने नवीन मान्यता के लिये दी गई जानकारी का अध्ययन किया है और मै घोषणा करता हूँ कि –

1 उपर दी गई जानकारी पूर्णतया सत्य है तथा इसमें कुछ भी छुपाया नहीं गया है न ही किसी बात को बढ़ाकर बताया गया है ।

2 संस्था को प्राधिकृत समिति संस्था द्वारा मान्यता संबंधी सभी नियमों का अध्ययन कर लिया है लिया है तथा वह एतद् द्वारा इस सभी शर्तो को मान्य करते है ।

3 संस्था द्वारा छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर द्वारा समय–समय पर मांगे गये सभी पत्र भेजने की व्यवस्था की जावेगी तथा समय–समय पर दिये गये सभी निर्देश स्वीकार्य होगें ।

दिनांक——————— हस्ताक्षर———————

सील

संलग्न प्रपत्र की चेक लिस्ट

	संलग्न है/नहीं
01. समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र/कार्यकारिणी समिति की प्रमाणित सूची	है/नहीं
02. संस्था/विद्यालय के नियामावली की प्रति	है/नहीं
03. शासकीय सदस्यो की जानकारी आदेश की प्रति	है/नहीं
04. विभागीय अनुमति की प्रति	है/नहीं
05. अक्षय निधि एवं बचत खाते का विवरण छाया प्रति	है/नहीं
06. नामंकन शुल्क जमा करने की फोटो कापी सूची संलग्न	है/नहीं
07. स्टाफ सूची निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्रों की छाया प्रति सहित	है/नहीं
08. भूमि का खसरा/बी 1 की प्रति/रजिस्ट्री की प्रति	है/नहीं
09. किरायानामा एवं मकान मालिक बी 1 खसरा की प्रति	है/नहीं
10. भवन का प्रमाणित नक्शा क्षेत्रफल की जानकारी सहित	है/नहीं
11. फर्नीचर की संख्या डेस्क बेंच की संख्या की जानकारी	है/नहीं
12. पुस्तको की सूची	है/नहीं
13. प्रयोगशाला सामाग्री की सूची	है/नहीं
14. खेल मैदान की जानकारी खेल समाग्री की सूची	है/नहीं
15. आडिट रिपोर्ट 03 वर्ष की	है/नहीं
16. विद्यालय के बाह्य दृश्य स्थिति, अध्यापन कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय,प्रसाधन, खेल मैदान का फोटो ग्राफ्स	है/नहीं

संलग्नः– उपरोक्तानुसार परिशिष्ट कुल——————— जो संलग्न किया है उस पर सही का निशान लगायें ।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

दूरभाष नं. 0771–2437309 फैक्स नं. 0771–2429385

क्रमांक/4775 /अशा. मान्यता/2019 रायपुर, दिनांक 7/12/2019

:: आदेश ::

मान्यता समिति की बैठक दिनाँक 12–09–2019 से दिनांक 17.09.2019 तक में की गयी अनुशंसा अनुसार कार्यपालिका एवं वित्त समिति की संयुक्त बैठक दिनांक 23.11.2019 में लिये गये निर्णयानुसार पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक 5347/मान्यता/2016 रायपुर, दिनाँक 27.07.2016 में संशोधन करते हुये अशासकीय मान्यता के लिये ली जाने वाली शुल्क की दरें निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

स.क.	नवीन मान्यता हेतु शुल्क	
01	**नवीन मान्यता हाईस्कूल** (1) मान्यता शुल्क राशि रू.10,000/– (2) निरीक्षण शुल्क राशि रू.13,000/– (3) पंजीयन शुल्क राशि रू. 27,000/–	**नवीन मान्यता हायर सेकण्डरी** (1) मान्यता शुल्क राशि रू.14,000/– (2) निरीक्षण शुल्क राशि रू.13,000/– (3) पंजीयन शुल्क राशि रू. 33,000/–
	कुल राशि रू. 50,000/–	**कुल राशि रू. 60,000/–**
02	**विलंब शुल्क** (अ) 30 अप्रैल तक– सामान्य शुल्क (ब) 31 जुलाई तक– रू. 20,000/–	
	उक्त तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जावेंगे। **उदाहरणार्थ:–** परीक्षा सत्र 2021–22 हेतु नवीन मान्यता आवेदन, सामान्य शुल्क के साथ 30 अप्रैल 2020 तक तथा विलंब शुल्क 20,000/– के साथ 31 जुलाई 2020 तक।	
03	**सुरक्षा निधि/अक्षय निधि**	**(1) शहरी क्षेत्र :–** राशि रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) **(2) ग्रामीण क्षेत्र :–** राशि रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र)
	उपरोक्त शुल्क परीक्षा सत्र 2021–22 से अशासकीय नवीन मान्यता के लिये प्रभावशील होगा।	

इसी प्रकार कार्यालयीन आदेश क्रमांक/2726/मान्यता/2008, रायपुर, दिनांक 17–04–2008 में संशोधन करते हुये निम्नानुसार नवीनीकरण शुल्क निर्धारित की जाती है :–

स.क.	नवीनीकरण हेतु शुल्क	
01	**मान्यता शुल्क प्रतिवर्ष** (1) हाईस्कूल परीक्षा हेतु रू. 5000/– (2) हायर सेकण्डरी परीक्षा हेतु रू. 7000/–	**विलंब शुल्क** (अ) 31 दिसम्बर तक– सामान्य शुल्क (ब) 15 जनवरी तक– रू. 2000/– (स) 31 जनवरी तक– रू. 3000/– (द) 28 फरवरी तक– रू. 4000/–

02/ मान्यता वृद्धि के लिये जिस शिक्षा सत्र के लिये मान्यता वृद्धि चाही गई है। उसके प्रारंभ होने के 06 माह पूर्व अर्थात् 31 दिसम्बर तक सामान्य शुल्क के साथ मान्यता वृद्धि का आवेदन पत्र स्वीकार किया जावेगा। इसके पश्चात् आवेदन पत्र जमा किये जाने पर उपरोक्तानुसार विलम्ब शुल्क देय होगा।

उदाहरणार्थ:– परीक्षा सत्र 2021–22 की मान्यता वृद्धि हेतु शुल्क 31 दिसम्बर 2020 तक सामान्य शुल्क के साथ जमा कराया जाना अनिवार्य होगा।

03/ अक्षय निधि/सुरक्षा निधि जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य के संयुक्त खाता में स.क्र (03) में उल्लेखित अनुसार जमा किया जाना होगा।

6/12/19

(प्रोफेसर व्ही.के. गोयल)
सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल
रायपुर

पृ. कमांक/4776/सभा/2019, रायपुर, दिनांक 07-12-19

प्रतिलिपिः—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की ओर माननीय मंत्री जी को अवगत कराने का कष्ट करें।
2. प्रमुख सचिव/सचिव/आयुक्त/संचालक/उपसचिव .... नवा रायपुर, अटल नगर,
3. समस्त माननीय मण्डल सदस्यगण, विधायक सदस्यगण, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर को सादर सूचनार्थ।
4. अध्यक्ष महोदय के निज सचिव/सचिव के निज सहायक, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर,
5. समस्त प्रथम श्रेणी अधिकारी, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर,
6. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिला, छत्तीसगढ़,
7. सहायक संचालक, आवासीय संपरीक्षा, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर, को सूचनार्थ।
8. समस्त सहायक सचिव/समस्त कक्ष अधिकारी/लेखा अधिकारी, छ.ग.मा.शि.मंडल, रायपुर,
9. समस्त सहायक प्राध्यापक/पाठ्यक्रम प्रभारी, छ.ग.मा.शि.मंडल रायपुर,
10. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, छ.ग.माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर/अंबिकापुर, जगदलपुर एवं राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,
11. समस्त प्राचार्य, मान्यता प्राप्त शालाएँ, छत्तीसगढ़ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. आदेश फोल्डर।

(हस्ताक्षर) 6/12/19

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल

रायपुर

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर

क्रमांक/ 14 /अशा.मान्यता/2018 रायपुर दिनांक 02-02-2018

—: मान्यता हेतु निर्देश :—

माध्यमिक शिक्षा मण्डल विनियम 1994 के विनियम सात एवं चौदह के अन्तर्गत प्रावधानित व्यवस्था के तहत निम्नानुसार मापदण्डों के अनुरूप अशासकीय शिक्षण संस्थाओं के सामान्य तौर पर मूलभूत सुविधाओं को होना अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु पूर्व में कार्यालयीन पत्र क./7229/मान्यता/2012—13, रायपुर, दिनांक 27—12—2012 द्वारा निर्देश जारी किया गया था, उक्त निर्देश में मान्यता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार आवश्यक संशोधन उपरांत निम्नानुसार नवीन निर्देश जारी किये जाते हैं:—

1. भूमि :—

(1) संस्था की भूमि एवं भवन स्वयं के (शिक्षण समिति के) स्वामित्व का होना चाहिये। यदि स्वामित्व का नहीं है तो किराये की भूमि/भवन होने पर किरायानामा प्रस्तुत करना होगा। किरायानामा न्यूनतम 03 वर्ष से कम का न हो, भूमिस्वामी के भूमि स्वामित्व का बी—1 खसरा एवं शाला के भूमि सह भवन का नक्शा संबंधित नगर निगम/नगर पालिका निगम/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत से प्रमाणित अनिवार्य है। नक्शा में भूमि, भवन, कक्ष का क्षेत्रफल पृथक—पृथक दर्शाया जाना है।

(2) यदि नई संस्था प्रारंभ करते समय संस्था की स्वयं की (शिक्षण समिति की) स्वामित्व की भूमि नहीं है तो भूमि क्रय करने एवं भवन निर्माण की कार्ययोजना प्रस्तुत करना होगा।

(3) संस्था को, प्रस्तुत कार्य योजना का तीन वर्ष में क्रियान्वयन करना आवश्यक होगा।

(4) संस्था के पास अपने स्वामित्व की (शिक्षण समिति की) शहरी क्षेत्र के लिए कम से कम 20,000 वर्गफीट एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम से कम 30,000 वर्गफीट भूमि होना चाहिए।

(5) यदि संस्था में कुल छात्र 1500 से अधिक है या प्रस्तावित है तो कम से कम 02 एकड़ भूमि होना आवश्यक है।

(6) यदि शाला राजभोगी शहर में घनी बस्ती में है तो शाला परिसर कम से कम 20,000 वर्गफीट में हो और छात्र— छात्राओं के खेलकूद की गतिविधियों के लिये निकटतम दूरी पर कोई खेलकूद का मैदान होना चाहिये।

(7) कम से कम 1/2 एकड़ खूली भूमि खेल/प्रार्थना सभा के लिये अनिवार्य रूप से हो।

2. भवन :—

(1) शाला भवन का निर्मित क्षेत्रफल केवल हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 3000 वर्गफीट व हायर सेकेण्डरी के लिये केवल एक संकाय कला या वाणिज्य होने पर 4000 वर्गफीट/कला एवं वाणिज्य दोनों संकाय होने पर 5000 वर्गफीट/कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय तीनों संकाय होने पर 8000 वर्गफीट होना अनिवार्य है। यदि संस्था हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी की कक्षायें चला रही हो तो न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल 8000 वर्गफीट होना चाहिये।

(2) पाठ्यसहगामी गतिविधि हेतु हाईस्कूल के लिये 1000 वर्गफीट का हॉल, हायर सेकण्डरी के लिये 2000 वर्गफीट का हॉल होना चाहिये।

(3) शाला भवन में निम्नानुसार न्यूनतम संख्या में कक्षों का होना अनिवार्य है :—

(अ) प्राचार्य, कार्यालय, स्टॉफ पुस्तकालय व प्रयोगशाला (हाईस्कूल) के लिये एक—एक कक्ष अर्थात् – 5 कक्ष

(ब) केवल हाईस्कूल के लिये कक्षाएँ – 2 कक्ष

कुल— 7 कक्ष न्यूनतम

नोटः—1. पूर्व से संचालित हाईस्कूल संस्था को यदि हायर सेकेण्डरी के लिये मान्यता लेना है तो विज्ञान संकाय के लिये तीन कक्ष प्रयोगशाला हेतु अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा। इसी प्रकार केवल कला संकाय हेतु +2 कक्ष, कला एवं वाणिज्य सहित हेतु +4 कक्ष, कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकाय सहित हेतु 07 कक्ष का होना आवश्यक है।

2. जितने संकाय एवं सेक्शन होंगे, प्रत्येक सेक्शन के लिये एक—एक कक्ष निर्माण कराना होगा।

3. 45 छात्रों तक के लिये एक कक्ष, उससे अधिक संख्या होने पर प्रत्येक 45 छात्रों के लिये एक—एक कक्ष का अतिरिक्त निर्माण कराना आवश्यक होगा।

4. एक सेक्शन में अधिक से अधिक 45 छात्र।

5. छात्र—छात्राओं की पाठ्येत्तर गतिविधियों के लिये भवन में एक बरामदा या हाल होना आवश्यक है, जहां संस्था के कार्यक्रमों को आयोजित किया जा सके, हाईस्कूल के लिये साइज न्यूनतम 600 वर्गफीट तथा हायर सेकण्डरी के लिये न्यूनतम साइज 1000 वर्गफीट।

6. संस्थाओं में अध्यापन कक्षों का निर्माण इस प्रकार हो कि प्रत्येक छात्र को 08 वर्गफीट स्थान मिल सके।

7. एक भवन में एक पाली में ही विद्यालय चलाने की अनुमति होगी। पाली का न्यूनतम 06 घंटा विद्यालयीन कार्यावधि होना अनिवार्य है।

/

8. परिवर्तित भूमि एवं भवन का नक्शा प्राधिकृत व्यक्ति/संस्था (नगर निगम/ग्राम पंचायत/नगर पालिका) द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।
9. व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के मध्य, आवासीय फ्लैट्स के मध्य, या आवांछित स्थानों पर स्थित विद्यालयों को मान्यता नहीं दी जावेगी।
10. निर्माणाधीन भवन होने पर संस्था को मान्यता नहीं दी जावेगी।
11. घासभूमि पर निर्मित भवन/विद्यालय मान्य नहीं होगा। विधिवत आबंटन के होने पर ही मान्यता पर विचार किया जावेगा।
12. यदि विद्यालय लीज पर है तो रजिस्टर्ड लीज डीड आवश्यक है।
13. विद्यालय भवन की विडियोग्राफी कराकर निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
14. स्थान/भवन/वर्ग/माध्यम परिवर्तन/समिति में परिवर्तन किये जाने की स्थिति में शाला का पुनः निरीक्षण किया जावेगा तथा निरीक्षण व्यय संस्था को वहन करना होगा।
15. शाला भवन का शिक्षण सत्र के दौरान अन्य गैर शैक्षणिक कार्य के लिये उपयोग नहीं किया जावेगा।

3. पेयजल व्यवस्था :-

संस्था द्वारा शुद्ध एवं शीतल पेयजल की व्यवस्था कराना अनिवार्य है। विद्यालयों में फिल्टर किया हुआ शीतल पेयजल की व्यवस्था हो। ग्रामीण क्षेत्र में ढका हुआ शुद्ध पेयजल या नलकूप भी मान्य किया जा सकता है। पेयजल स्थल पर बैठ कर पानी पीने की व्यवस्था हो।

4. पुस्तकालय :-

1. संस्था के पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों को छोड़कर कम से कम 03 पुस्तकें प्रति छात्र हो। पुस्तकालय के रख-रखाव के लिये लायब्रेरी अटेन्डेंट हो तथा छात्र-छात्राओं को लायब्रेरी कार्ड पर पुंस्तकें ईश्यू करने की सुविधा उपलब्ध हो। ग्रामीण क्षेत्र में यह कार्य किसी शिक्षक को सौंपा जा सकता है।
2. छात्र -छात्रायें, लाइब्रेरी के कक्ष में बैठकर पत्र-पत्रिकायें पढ़ सकें, इस हेतु स्थान एवं फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था हो।

5. प्रयोगशाला :-

1. हाईस्कूल तक के छात्रों के लिये प्रयोगशाला का एक कक्ष होना आवश्यक है, जिसमें छात्रों के अध्यापन कार्य में अध्ययन हेतु शामिल किये गये सभी उपकरण उपलब्ध हो जिनका अवलोकन कराकर अध्यापन कार्य करवाया जा सके।
2. हायर सेकण्डरी में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान एवं कृषि संकाय की पृथक-पृथक प्रयोगशाला होना आवश्यक है। प्रयोगशाला में इतना स्थान होना चाहिये जहां मेज के सामने खड़े होकर प्रयोग संपादित कर सकें। कृषि संकाय के प्रायोगिक अध्ययन हेतु न्यूनतम एक एकड़ कृषि भूमि अनिवार्यतः उपलब्ध हो। व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु संस्था को निर्धारित मापदण्डों की प्रयोगशाला/कार्यशाला की व्यवस्था करना होगा।
3. पाठ्यक्रमानुसार निर्धारित विषयवस्तु के अनुसार प्रयोगशाला में सभी सामग्री उपलब्ध होना चाहिये।
4. हाईस्कूल स्तर तक की प्रयोगशाला के लिये प्रयोग संपादित करने हेतु एक लेब असिस्टेंट की व्यवस्था हो परंतु हायर सेकण्डरी प्रयोगशाला के लिये पृथक-पृथक लेब असिस्टेंट की समुचित व्यवस्था हो। न्यूनतम दो लैब अटिस्टेंट राज्य शासन के सेटअप अनुसार हो।

6. खेल का मैदान :-

संस्थाओं में कम से कम दो खेलों के ग्राउण्ड की व्यवस्था करनी होगी, जैसे-हॉकी, फुटबाल, बालीबॉल, बैडमिंटन इत्यादि। शहरी क्षेत्रों में संस्थाओं का इन्डोर गेम्स के लिये भी व्यवस्था करना अनिवार्य है।

7. प्रसाधन :-

संस्था के छात्र-छात्राओं के लिये पृथक-पृथक टायलेट की व्यवस्था की जानी चाहिये। स्टाफ के लिये महिला-पुरूष पृथक टायलेट की व्यवस्था हो। जिस संस्था में 100 से अधिक छात्र-छात्रायें है, वहाँ प्रति 100 छात्र पर एक-एक अतिरिक्त टायलेट की व्यवस्था की जानी चाहिये। इसकी साफ-सफाई हेतु सफाई कर्मी सहित समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक होगा। प्रति 10 छात्र/छात्रा के लिए पृथक-पृथक पेशाब घर अनिवार्यतः हो।

8. शैक्षणिक स्टाफ :-

1. हाईस्कूल में प्राचार्य-01 तथा 06 व्याख्याता/शिक्षाकर्मी वर्ग-01, सहायत शिक्षक विज्ञान- 01, लेखापाल/सहायक ग्रेड-दो -01, सहायक ग्रेड- तीन -01, चौकीदार एवं स्वीपर- 04, कुल 14 का स्टाफ होना आवश्यक है। पर्याप्त संख्या में निर्धारित योग्यता प्राप्त अध्यापन स्टाफ एवं अन्य स्टाफ नियुक्ति अनिवार्य है। व्याख्याताओं एवं शिक्षकों की (शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप अनुसार) योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां, स्टाफ सूची सह संलग्न की जाना है।
2. स्टाफ का पासपोर्ट साईज की रंगीन फोटो, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर, मोबाईल नंबर तथा सेलरी स्लिप संबंधित शिक्षक का हस्ताक्षरयुक्त विवरण जमा करना होगा।

3. हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी में प्राचार्य 01 तथा 11 व्याख्याता/शिक्षा कर्मी वर्ग–01 एक ही संकाय के छात्रों को पढ़ाने के लिये कम से कम प्रत्येक विषय पर एक व्याख्याता होना चाहिये। एक संकाय के बाद अन्य संकाय के प्रारंभ होने पर प्रति संकाय 03 संबंधित विषय के व्याख्याता की नियुक्ति होना चाहिये। व्यायाम शिक्षक/शिक्षा कर्मी वर्ग दो– 01, सहायक ग्रेड तीन– 01, चौकीदार एवं स्वीपर– 06 का स्टाफ होना आवश्यक है, जहां 04 से अधिक सेक्शन है, वहां संबंधित विषय के दो–दो व्याख्याताओं की नियुक्ति होना अनिवार्य है, व्याख्याताओं एवं शिक्षकों की योग्यता प्रमाण पत्र की प्रमाणित छाया प्रतियां स्टाफ सूची संलग्न की जाना है।
4. विद्यालय के समस्त शिक्षक प्रशिक्षित होना आवश्यक है।
5. प्राचार्य प्रशिक्षित एवं 05 वर्ष का उन्हें अध्यापन का अनुभव हो।

9. फर्नीचर व्यवस्था :–

स्टाफ व कार्यालय फर्नीचर के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं के लिये भी कक्षाओं में फर्नीचर होना चाहिये। यह मेट/कुर्सी अथवा डेस्क/बैंच हो सकते हैं। विद्यार्थियों को जमीन पर कदापि नहीं बिठाया जावे। फर्नीचर विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की दृष्टि से तथा पाठ्यसामग्री रखने के लिये उपयुक्त सुविधा हो।

10. विद्युत व्यवस्था :–

(अ) जिन स्थानों में बिजली है वहां की शालाओं में बिजली व पंखों की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये।
(ब) विद्युत प्रवाह/व्यवस्था पूर्णतः सुरक्षित व प्रमाणिक हो।
(स) आग से बचाव के लिए समुचित व्यवस्था अनिवार्यतः हो।

11. अक्षय निधि :–

अक्षयनिधि हेतु (अ) ग्रामीण क्षेत्र हेतु रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) (ब) शहरी क्षेत्र हेतु रू. 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) जिला शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य के संयुक्त खाते मे जमा होना चाहिये।

12. वित्तीय व्यवस्था :–

1. सत्र समाप्ति के तीन माह के भीतर प्रतिवर्ष अंकेक्षण प्रतिवेदन जमा करना होगा।
2. संस्था के बचत खाते में न्यूनतम रू. 50,000/– (रूपये पचास हजार मात्र) जमा रहना चाहिए। तीन माह के वेतन के समतुल्य राशि बचत खाते में शेष दिखाने वाले तिथि के पहले तीन माह का लेन देन विवरण (Statment) भी प्रस्तुत करना होगा। जिससे आकस्मिक स्थिति में शिक्षकों को कम से कम किसी भी समय आवश्यकता पड़ने पर भुगतान कर सके।

13. अंग्रेजी माध्यम :–

1. यदि संस्था हिन्दी माध्यम के साथ अंग्रेजी माध्यम की कक्षायें भी संचालित करना चाहती है तो उसे अपनी अंग्रेजी माध्यम की शाला को अलग शाला मानते हुए उसकी मान्यता हेतु पूरी प्रक्रिया नवीन मान्यता के अनुरूप करनी होगी। उसके बाद ही अंग्रेजी माध्यम की संस्था का संचालन किया जा सकेगा।
2. कक्षा 12वीं तक की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम से किया हो मान्य, साथ ही अंग्रेजी विषय हेतु अनिवार्यतः अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया हो।

14. अतिरिक्त संकाय :–

अतिरिक्त संकाय/विषय के लिये निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन एवं निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। अतिरिक्त संकाय हेतु विभागीय अनुमति, स्टाफ, प्रयोगशाला आदि की व्यवस्था होने पर अतिरिक्त संकाय की मान्यता जारी की जावेगी।

15. 1. मण्डल से मान्यता प्राप्त संस्था को विद्यालय के नाम पट्टिका, प्रवेश आवेदन पत्र व लेटरपेड पर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल से मान्यता प्राप्त तथा संस्था का मान्यता कोड का स्पष्ट उल्लेख किया जाना होगा। मण्डल द्वारा जारी मान्यता प्रमाण पत्र प्राचार्य के कक्ष में अथवा कार्यालय में स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान पर प्रदर्शित करना होगा। इसका पालन संस्था को सुनिश्चित करना होगा।
2. पहले मान्यता तत्पश्चात् कक्षायें अर्थात् बिना मान्यतायें के कक्षाओं का संचालन नहीं किया जा सकता है।

16. विद्यार्थियों की सुरक्षा :–

1. विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये परिवहन साधनों की गुणवत्ता तथा उससे संबंधित कर्मचारियों की योग्यता/प्रामाणिकता शासन द्वारा तय मापदण्ड के अनुरूप होना अनिवार्य होगा।
2. प्रतिवर्ष परिवहन साधनों का तकनीकी जॉच तथा परिवहन कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण कराकर प्रमाण पत्र मान्यता नवीनीकरण के साथ अनिवार्यतः जमा करना होगा।
3. विद्यार्थियों की सुरक्षा की दृष्टि से CCTV कैमरे लगवाकर सुरक्षा प्रदान करना अनिवार्य होगा।

17. लिगल लिटरेसी क्लब (विधिक साक्षरता क्लब) एवं लिगल एड क्लीनिक (विधिक सहायता उपचार केन्द्र) की स्थापना :–

माननीय उच्च न्यायालय के रिट याचिका प्रकरण कमांक 41/2016 में दिए गए निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अनुशंसाओं (बिन्दु कमांक 4.6.3) के अनुरूप सभी शासकीय एवं निजी विद्यालयों/

कालेज/एन.सी.सी./एन.एस.एस. युनिट में लिगल लिटरेसी क्लब एवं लिगल एड क्लीनिक की स्थापना अनिवार्यतः की जानी है। भविष्य में किसी भी स्कूल की मान्यता के आवेदन प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन आवेदन पत्रों के साथ स्कूल का जो प्रोजेक्ट प्लान (योजना प्रारूप) प्रस्तुत किया जाये उसमें लिगल लिटरेसी क्लब (विधिक साक्षरता क्लब) एवं लिगल एड क्लीनिक (विधिक सहायता उपचार केन्द्र) की स्थापना किये जाने या कर दिये जाने, के संबंध में स्पष्ट उद्घोषणा संबंधित स्कूल के द्वारा किया जाना होगा।

18. विद्यालय का नामकरण :–

केन्द्र व राज्य शासन द्वारा राष्ट्रीय महत्व के कुछ शब्द विशेष जैसे– "नेशनल" का प्रयोग प्रतिबंधित है। इन शब्दों को प्रयोग विद्यालय के नामकरण हेतु करने पर मान्यता नहीं दिया जावेगा। तथा विद्यालय का नामकरण छात्रों एवं पालकों को भ्रमित करने वाले शब्द जैसे– "इंटरनेशनल", "नवोदय", "एकलव्य", "प्रयास", "केन्द्रीय" नहीं रखा जा सकेगा।

19. विद्यालय संचालन बंद करना:–

मान्यता प्राप्त करने के पश्चात् न्यूनतम एक प्रमाण पत्र परीक्षा (मण्डल परीक्षा) तक विद्यालय संचालन करना अनिवार्य होगा, ताकि विद्यार्थियों को बीच कक्षा में विद्यालय बदलना नहीं पड़े। जैसे– यदि संस्था हाईस्कूल तक संचालित है तो 10 वीं की परीक्षा होने के बाद 9वीं में जो विद्यार्थी अध्ययनरत होंगे वे भी 10वीं की परीक्षा में सम्मिलित हो जाने के बाद। यदि हायर सेकण्डरी तक संचालित है तो 10 एवं 12वीं की परीक्षा होने के बाद जो विद्यार्थी 9वीं एवं 11वीं में अध्ययनरत होंगे वे 12वीं तक की परीक्षा में सम्मिलित होने के बाद। यदि मान्यता प्राप्त संस्था अपनी शाला बंद करना चाहती है तो उसे उसकी सूचना मण्डल को देनी होगी। यदि मान्यता प्राप्त संस्था किसी वर्ष अपने छात्र मण्डल परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराती है, तो उसकी सूचना मण्डल को देनी होगी।

20. कम्प्यूटर शिक्षण व्यवस्था:–

प्रत्येक 40 विद्यार्थियों पर 01 कम्प्यूटर के मान से व्यवस्था करना होगा। कम्प्यूटर सीखने हेतु विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों में से पी.जी.डी.सी.ए. योग्यताधारी शिक्षक की सेवा ली जा सकती है।

21. शासन की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन:–

शासन द्वारा विद्यार्थी हितार्थ लागू योजना जैसे– वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण, विद्यार्थी बीमा सुरक्षा, छात्रवृत्ति आदि का पालन करना अनिवार्य होगा।

22. विद्यालय शुल्क निर्धारण तथा शिक्षण सामग्री विक्रय:–

शासन द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त ली जा रही अन्य शुल्क का युक्तियुक्त विद्यालय में उपलब्ध सुविधा से होना चाहिये। शुल्क का अनुमोदन शाला प्रबंधन एवं विकास समिति की बैठक में होना अनिवार्य होगा, इस बैठक में नोडल प्राचार्य की उपस्थिति आवश्यक रूप से हो।

23. अशासकीय शालाओं के स्थान/भवन/नाम/माध्यम में परिवर्तन के संबंध में प्रक्रिया :–

इस हेतु पहले शासन से अनुमति प्राप्त करना होगा। शासन से प्राप्त अनुमति के 30 दिन के भीतर मण्डल में आवेदन करना होगा। मण्डल में निर्धारित निरीक्षण शुल्क जमा करने पर मण्डल आवेदित शाला का निरीक्षण एक समिति द्वारा कराकर निरीक्षण रिपोर्ट मान्यता समिति में रखेगी तथा मान्यता समिति उस पर आवश्यक निर्णय लेगी। बिना मण्डल के अनुमति के स्थान/भवन/नाम/माध्यम में परिवर्तन करने की दशा में बोर्ड संस्था की मान्यता निरस्त कर सकेगी।

24. संस्था का अंतरण :–

अशासकीय विद्यालय द्वारा शासन/मण्डल की स्वीकृति के बिना अन्य संस्था को प्रबंधन का अंतरण नहीं कर सकेगी। प्रबंध अंतरित किये जाने के प्रस्ताव पर मण्डल द्वारा संस्था का पुनः निरीक्षण एक समिति द्वारा कराये जाने का आदेश दिया जा सकेगा। निरीक्षण शुल्क संस्था को देना होगा। मान्यता समिति की स्वीकृति उपरान्त ही प्रबंध का अन्य संस्था/समिति को अंतरण किया जा सकेगा।

25. निरसन/मान्यता समाप्ति :–

यदि मान्यता प्राप्त संस्था, मण्डल के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन करती है, तो मण्डल स्कूल का मान्यता रद्द कर सकती है।

उपरोक्त निर्देश परीक्षा सत्र 2019–20 से प्रभावशील होगी।

सचिव
छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,
रायपुर

/5/

पृष्ठांकन क्रमांक/ 15 /अशा.मान्यता/2018 रायपुर दिनांक 02/02/18

प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर की ओर माननीय मंत्री जी को अवगत कराने हेतु।
2. समस्त मान0 विधायक सदस्यगण, मण्डल सदस्यगण, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर।
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. संचालक, लोक शिक्षण संचालनालय/संचालक, आदिम जाति कल्याण विभाग, इन्द्रावती भवन नया रायपुर की ओर सूचनार्थ।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास की ओर सूचनार्थ।
6. उपसचिव/पंजीयक, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
7. समस्त सहायक सचिव/कक्ष अधिकारी, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ।
8. समस्त प्राचार्य/प्राचार्या, अशासकीय मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की ओर भेजकर सूचित किया जाता है, कि छात्र/छात्राओं के मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये उपरोक्तानुसार न्यूनतम मापदण्ड निर्धारित कर निर्देश जारी किये जा रहे है। कृपया सुनिश्चित करें, कि उपरोक्त-मापदण्डों के अनुसार संस्था का संचालन किया जा रहा है। ऐसा न होने पर आगामी वर्ष की मान्यता पर विचार किया जाना संभव नहीं हो सकेगा।

सचिव

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल,

रायपुर